



न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद।

फौ0 वाद सं0— 2876 / 2003

सरकार बनाम आजाद

मु0अ0सं0—31 / 2003

थाना— नजीबाबाद, बिजनौर।

आरोप

मैं, अखिल कुमार निझावन, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट नजीबाबाद, बिजनौर आप **आजाद** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ—

यह कि दिनांक 10-01-2003 को समय करीब 16-30 बजे स्थान मौ0 वाहिद नगर, नजीबाबाद, सीमान्तर्गत थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर में आप पुलिस द्वारा पकड़े गये तथा जामातलाशी लेने पर आपकी अभिरक्षा से एक अद्द देशी तमंचा एवं दो अद्द जीवित कारतूस 12 बोर बरामद हुए, जिनको रखने का आपके पास कोई लाईसेन्स नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया, जो धारा **25 आयुध अधिनियम** के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोप हेतु इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक : 05-03-2022

(अखिल कुमार निझावन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद,
बिजनौर। यू.पी.03212

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोपों से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण किये जाने की याचना की।

दिनांक: 05-03-2022

(अखिल कुमार निझावन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद,
बिजनौर। यू.पी.03212